राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./वृ.क./सान्यअवि/18–19/ 5909 दिनांक 29/01/19

आदेश

विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं को आमजन तक पंहुचाने, प्रचार प्रसार करने एवं योजनाओं के सरलीकरण आदि के सुझाव देने का कार्य कई स्वयंसेवी संस्थाओं/नागरिक समितियों/प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों/सेवानिवृत व्यक्तियों द्वारा निःस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से योज़नाओं के प्रचार प्रसार, लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरने में मदद करने, गैप विश्लेषण, सरलीकरण हेतु सकरात्मक सुझाव तथा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य दिया जाना है, जिससे सामुदायिक सहभागिता बढ सके।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार–प्रसार, लाभार्थियों की सहायता करने, सरलीकरण के सुझाव गैप विश्लेषण एवं सामाजिक अंकेक्षण आदि का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक समितियों, सेवानिवृत व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों से करवाये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

विभाग की मुख्य योजनायें, जिनमें सकारात्मक सहभागिता ली जानी हैः–

1. पालनहार योजना
2. सहयोग एवं उपहार योजना
3. उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना
4. छात्रावास योजना
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
6. अन्य विभागीय योजनायें (जिनके कार्य जिला स्तर/विभाग स्तर द्वारा सौंपा जावे)

स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत व्यक्ति/नागरिक समितियों/वरिष्ठ नागरिक के द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1. आमजन को योजनाओं के प्रति जागरूक करना।
2. पात्र लोगों व परिवारों का चिन्हिकरण करना तथा आवेदन तैयार करवाना।
3. आम लाभार्थी को योजना का लाभ दिलवाने में सहायता करना।
4. योजना के सरलीकरण हेतु सुझाव देना एवं गैप विश्लेषण रिपोर्ट।
5. मौके पर जाकर लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करना एवं सामाजिक अंकेक्षण।

स्वयंसेवी संस्थाओं/ नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक की पात्रताः–

1. स्वयंसेवी संस्था पंजीकृत हो।
2. स्काउट गाईड/एनएसएस/एनसीसी के विद्यार्थी अपनी शिक्षण संस्था/यूनिट तथा नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक अपने जिला युवा समन्वयक के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।
3. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति जो निःस्वार्थ सामाजिक सेवा में रूचि रखते हो।
4. संस्था/नागरिक समितियां/व्यक्ति गैर राजनीतिक एवं समर्पित भाव से निःस्वार्थ सेवा करते हो।
5. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा संस्था ब्लैक लिस्टेड नहीं हो।
6. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति प्रतिष्ठित श्रेणी के हों तथा उनका आचरण अच्छा हो।

स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत व्यक्ति/नागरिक समितियों/वरिष्ठ नागरिक हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव

आवेदक/संस्था का नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि ..... उम्र .....

वर्तमान पता .....

ग्राम/वार्ड .....

ग्राम पंचायत/नगरीय विकास .....

तहसील..... जिला .....

संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक ..... दिनांक .....

फोन नं. .....

शैक्षणिक योग्यता.....

कार्य अनुभव .....
.....
.....

कार्य जो करना चाहतें हो–

.....
.....
.....

संस्था/मैं ..... गैर राजनीतिक एवं निःस्वार्थ एवं समर्पित भाव से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक सहभागिता के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। मैंने विभाग के दिशा–निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर ली है। इस कार्य हेतु बिना किसी अनुदान/शुल्क के कार्य करने का इच्छुक हूँ। मेरे क्रियाकलापों एवं व्यवहार में किसी प्रकार की शिकायत पाई जाने पर विभाग द्वारा मुझे उक्त कार्य से हटाया जा सकता है।

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदक

मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिग (समझौता ज्ञापन)

(MOU)

यह एम.ओ.यू. आज दिनांक ..... माह ..... सन ..... को प्रथम पक्ष .... (जिसे इसमें आगे संस्था/ नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ सन्दर्भ किया हुआ समझा जायेगा) तथा द्वितीय पक्ष आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की और से उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिसे आगे जिलाधिकारी कहा गया है, के मध्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तावनाः– विभाग के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आमजन तक पंहुचाने, प्रचार प्रसार करने एवं योजनाओं के सरलीकरण आदि के सुझाव देने के कार्यों को स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से करवा कर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोडा जाना है।

राजस्थान राज्य में विभाग के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को जोडने / क्रियान्वयन में रह रहे गैप का विश्लेषण करने/जनजागरूकता पैदा करने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं/ सेवानिवृत व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से किया जायेगा। कार्य संचालन विभाग के जिला स्तर पर स्थित कार्यालयों के माध्यम से किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों को उक्त कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जावेगी। निःस्वार्थ भाव से निःशुल्क कार्य करने को सहमत संस्था/ नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक (नाम) .... के साथ यह विलेख निम्नलिखित शर्तों पर संपादित किया जाता हैः–

1. उक्त कार्य पूर्णतः स्वैच्छिक एवं निःशुल्क होगा, चयनित स्वयंसेवी संस्था/ सेवानिवृत व्यक्ति/नागरिक समिति/वरिष्ठ नागरिक को कोई शुल्क/अनुदान नहीं दिया जायेगा।
2. स्वयंसेवी संस्था/ सेवानिवृत व्यक्ति/नागरिक समिति/वरिष्ठ नागरिक के क्रियाकलाप विभाग के उद्देश्यों के अनुरूप न होने, चरित्र एवं व्यवहार की शिकायत पाई जाने पर संबंधित को उक्त कार्य से हटाया जा सकेगा।
3. प्रारम्भ में यह समझौता ज्ञापन 2 वर्ष के लिये होगा राज्य सरकार यदि उचित समझेगी तो उपरोक्त उल्लेखित संस्था/व्यक्ति को दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
4. स्वयंसेवी संस्था/नागरिक समिति का पंजीकरण नम्बर .....है।
5. स्काउट गाईड/एनएसएस/एनसीसी के विद्यार्थी ..... शिक्षण संस्था/यूनिट ....से संबंधित है तथा नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक ..... जिला युवा समन्वयक ..... से संबंधित/अनुमोदित है।
6. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति जो निःस्वार्थ सामाजिक सेवा में रूचि रखने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
7. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत व्यक्ति को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने तथा संस्था के ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
8. वरिष्ठ नागरिक/सेवानिवृत व्यक्ति प्रतिष्ठित श्रेणी के हों तथा उनका आचरण अच्छा हो के संबंध में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
9. एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्ति पर अथवा अवधि पूर्व एम.ओ.यू. के निरस्त होने पर संस्था/व्यक्ति द्वारा विभाग से प्राप्त सामग्री विभाग को सुपुर्द करनी होगी।

(9)

स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समिति, सेवानिवृत व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला मासिक मूल्यांकन प्रतिवेदन :–

माह का नाम/वर्ष.....

1. स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समिति, सेवानिवृत व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक का नाम.....
   .....
2. पूर्ण पता.....
3. योजना/गतिविधि का विवरण.....
4. माह के दौरान तैयार करवाये गये आवेदन पत्रों का विवरण.....

क.सं.	नाम योजना	तैयार करवाये गये आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदको का नाम	पता

5. माह के दौरान किये गये भौतिक सत्यापन तथा सामाजिक अंकेक्षण का विवरण:–

क.सं.	नाम योजना	भौतिक सत्यापन/सामाजिक अंकेक्षण का दिनांक	लाभार्थीयो का नाम एवं पता	भौतिक सत्यापन / सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी स्थिति

6 प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम .....

क.सं.	नाम योजना	प्रचार–प्रसार का विवरण	कैम्प का दिनांक व स्थल	लाभार्थीयों की संख्या

7 योजनाओं के सरलीकरण हेतु सुक्षाव एवं गैप विश्लेषण रिपोर्ट:–

क.सं.	नाम योजना	सरलीकरण हेतु सुक्षाव	गैप विश्लेषण	विशेष विवरण

8 विभाग से संबंधित अन्य कार्य/सहभागिता का विवरण:–.....
.....
.....
.....

रिपोर्ट प्रस्तुत कर्त्ता का नाम /संस्था का नाम व हस्ताक्षर